

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (ड)(का.भा.)/डीएलबी/25/ ८८२३

दिनांक: 16-09-2025

आदेश

विभागीय आदेश दिनांक 16.05.2025 द्वारा श्री रामेश्वर खण्डेलवाल पार्षद वार्ड सं. 18 को नगर पालिका अंता में अध्यक्ष पद का कार्यभार 60 दिवस से अनाधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिये दिया गया था।

उक्त आदेश की निरन्तरता में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1)(iv)(क) के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रामेश्वर खण्डेलवाल पार्षद वार्ड सं. 18 को नगर पालिका अंता में अध्यक्ष पद का कार्यभार 60 दिवस से अनाधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिये दिया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(जूईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8 (ड)(का.आ.)/डीएलबी/25/ ८८२४-८८३३ दिनांक: 16-09-2025
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
- सम्भागीय आयुक्त, कोटा/जिला कलक्टर बांरा।
- निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6(क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
- उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय राज0 जयपुर।
- उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, कोटा।
- उपखण्ड अधिकारी, कोटा।
- अधिशासी अधिकारी नगरपालिका अंता (कोटा)।
- प्रोग्रामर (आई.टी. सैल), निदेशालय।
- सुरक्षित पत्रावली।

Signature valid

वरच्छ संयुक्त विधि संस्था

Digitally signed by Pratik

Chandrashekhar Jukkar

Designation : Director

Date: 2025.09.15 13:56:58 IST

Reason: Approved

